APP-A
Crim-4

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

सुखा पिता भवाना रेगर
निवासी– सरेरी

बनाम प्रेम देवी पत्नि रामेश्वर रेगर वगैरा
निवासी– सरेरी

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 229/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अदकान जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2018	बाद जॉच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ । जो दर्ज रजिस्टर किया जावें । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर मिसल दिनांक 29.06.2018 को पेश करें । सहायक कलक्टर(SDO)गुलाबपुरा	
29.06.2018	पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादी संख्या– 1 3 4 की और से वकालतनामा श्री दिपक कुमार गर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया । जो शामिल पत्रावली रहे । वकील प्रतिवादी के द्वारा जवाबदावा का अवसर चाहा गया । प्रतिवादी संख्या– 2 5 6 7 अनुपस्थित है । उक्त प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से वास्ते तामिल हेतु भिजवाये गये थे । सम्मन बाद सर्विस ए.डी. रसीद प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है । वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है । वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजीयात है जिसमें वादी का 1/2, व प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 का 1/2 हक हिस्सा निहित है और इसी हक हिस्सेनुसार आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजीयात संयुक्त खातेदारी कब्जेकाश्त की होने से पक्षकरों के मध्य फसल काश्त करनें, फसल काटनें, व लगान वगैराह जमा करनें में तथा आराजीयात को तरक्की देने में वादी को काफी परेशानी रहती है इसीलिये वादी माफिक हक हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभाजन करवाना चाहते है । उपस्थित वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वह वादी के वाद का जवाबदावा प्रस्तुत करना चाहता है फिर भी आराजीयात का माफिक कब्जानुसार विभाजन किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है । सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा	

Scanned by CamScanner

मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है ।

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा सरेरी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1152, 1153, 1154, 1156, 1157 किता 5 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा भूमि रामेश्वर पिता हीरा हिस्सा 1/2 व नन्दू बेवा हीरा 1/2, विक्रय से नन्दू बेवा हीरा का हिस्सा सुखा पिता भवाना के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा विरासत से रामेश्वर पिता हीरा के बजाय महेन्द्र पिता रामेश्वर, गुड्डी, गंगा, जमुना, मैना, पुत्रीयॉ रामेश्वर, दिनेश पिता रामेश्वर, ना. बा.ब.बी. संरक्षक माता प्रेम देवी व प्रेम पत्नि रामेश्वर का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

यहॉ वादी का कथन है कि आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की होने से फरीकन फसल काश्त करनें, फसल काटनें व आराजीयात को तरक्की करनें में परेशानी रहती है । इसलिये वादी आराजी मुतदाविया का माफिक हक हिस्सा के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभजान चाहता है । इसके विपरीत उपस्थित प्रतिवादी के द्वारा कब्जे के अनुसार बंटवारा किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया है ।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी के अनुसार आराजी मुतदाविया संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होना प्रकट है और संयुक्त खातेदारी की आराजीयात के प्रत्येक इन्च भूमि पर सभी सहखातेदारान का समान कब्जा काश्त माना गया है । ऐसी स्थिति में न्यायालय वादग्रस्त आराजीयात का माफिक हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी भूमि का विभाजन करवाया जाना न्यायसंगत समझता है । तद्नुसार दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है ।

"निर्णय"

दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा सरेरी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1152 1153 1154 1156 1157 किता 5 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा भूमि के खातेदारों काश्तकारों के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बूरी बूरी भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तद्नुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा तैयार किया जावें । इस आशय की तहसीलदार हुरडा को तहरीर जारी की जाकर , विभाजन प्रस्ताव तलब किया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

जावें । निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुली अदालत में सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

मिसल वास्ते बेइन्तजार विभाजन प्रस्ताव के दिनांक 20.07.2018 को पेश करें ।

सहायक कलेक्टर (SDO) गुलाबपुरा

20-7-18

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र कमांक राजस्व/2018/2309 दिनांक 20.07.2018 से प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली आज पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील प्रतिवादी को विधिवत् आवाजे लगवाई गई , वकील प्रतिवादी अनुपस्थित रहे । तहसीलदार हुरडा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है–

1– सुखा पिता भवाना रेगर साकिन देह खातेदार रहन बी.ओ.बी. शाखा सरेरी :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
सरेरी	1152/1	02 बीघा 14 बिस्वा	
	1156/1	01 बीघा 04 बिस्वा	
	1157/1	01 बीघा 02 बिस्वा	
कुल किता 03		05 बीघा 00 बिस्वा	3.00

2– महेन्द्र पिता रामेश्वर, गुड्डी, गंगा, जमुना, मैना, पुत्रीया रामेश्वर , दिनेश, पिता रामेश्वर ना.बा. संरक्षक माता प्रेमदेवी व प्रेम देवी पत्नि रामेश्वर रेगर साकिन देह खातेदार :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
सरेरी	1152/2	02 बीघा 10 बिस्वा	
	1153	00 बीघा 02 बिस्वा	
	1154	00 बीघा 07 बिस्वा	
	1156/2	01 बीघा 03 बिस्वा	
	1157/2	01 बीघा 03 बिस्वा	
कुल किता 05		05 बीघा 05 बिस्वा	3.09

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें। आदेश आज दिनांक 20.07.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner